

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर..

अपील संख्या - 1072 / 2010 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-प्रथम, प्रतिकरावंचन, अलवर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स चेतन सेल्स ऐजन्सी,
60, मिश्र राजाजी का रास्ता,
चांदपोल बाजार, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री अमर सिंह - सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 25 / 06 / 2014

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रथम, प्रतिकरावंचन, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपर्युक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 02 / अपील्स-IV / 2009-10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.12.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-प्रथम, प्रतिकरावंचन, अलवर द्वारा दिनांक 18.03.2009 को नेशनल हाईवे संख्या 8 पर बहरोड़ के पास वाहन संख्या RJ-34 GA 0612 को चैक किया गया। जिसमें पाया कि वाहन में गुटखा का परिवहन दिल्ली से जयपुर के लिए किया जा रहा था। वाहन चालक द्वारा वाहन में लदे माल के समर्थन में जांच हेतु मांगे जाने पर निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये :-

- बिल्टी संख्या 1616 दिनांक 01.03.2009 श्री राम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली।
- बिल्टी संख्या 1617 दिनांक 01.03.2009 श्री राम ट्रांसपोर्ट कम्पनी, दिल्ली।
- बिल संख्या 52 / 2570 एवं 52 / 2571 दिनांक 01.03.2009 मैसर्स सोम प्रोडक्ट्स, नरैना इण्ड. एरिया, नई दिल्ली।
- वैट 47 क्रमांक 4296227 जिसमें वाहन संख्या अंकित नहीं है तथा जिसमें माल की कीमत, संव्यवहार की दिनांक व माह पंच नहीं है।

कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में यह उल्लेख किया कि वाहन चालक द्वारा वाहन में लदे माल के समर्थन में उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए तथा वाहन चालक द्वारा अपने बयानों में यह व्यक्त किया गया कि उसको वक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, जिन्हें वह

लगातार.....2

जांच हेतु प्रस्तुत कर सके। वाहन चालक द्वारा अपने बयान में यह कथन किया कि माल उसके द्वारा दिनांक 17.03.2009 को फैक्ट्री से लोड किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि वाहन द्वारा परिवहनित माल गुटखा कर—योग्य है, जिसके राज्य में आयात पर राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैट-47 प्रपत्र संलग्न किया जाना आज्ञापक है, परन्तु प्रकरण में वैट-47 में माल परिवहन करने वाले वाहन का नम्बर अंकित नहीं होना एवं महत्वपूर्ण प्रविष्टियों के संबंध में नियमों में आज्ञापक पंचिंग नहीं होने पर, प्रथमदृष्टया अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के उल्लंघन पर धारा 76(5) के अधीन वाहन निरुद्ध किये जाने पर, वाहन चालक को धारा 76(6) के अधीन नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से प्रोपराइटर श्री विजय कुमार अग्रवाल ने नोटिस के क्रम में लिखित जवाब एवं वैट-47 क्रमांक 4296247 पेश किया, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मैसर्स गुलजग इण्ड. बनाम वा.क.अ. (2007(7)एससीसी 269) में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वक्त परिवहन नियमों में प्रावधानित विधिक प्रपत्र समुचित रूप से भरा हुआ एवं पंच किया हुआ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यवसायी के विरुद्ध शास्ति आरोपणीय है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत परिवहनित माल गुटखा कीमतन रूपये 12,90,300/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 3,87,090/- आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.12.2009 से अपील स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि संलग्न फार्म वैट-47 में महत्वपूर्ण कॉलम खाली थे। उनके अनुसार वाहन नम्बर अंकित नहीं था तथा बाकी सूचनायें पंच नहीं की गयी थी। जिससे यह प्रकरण अधूरा फार्म वैट-47 का बनता है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी के निर्णय [(2007) टैक्स अपडेट वॉल्यूम 18 पार्ट 8 पेज 321] से आच्छादित है। अतः आरोपित शास्ति नियमानुसार आरोपित की गयी थी। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में भूल की है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त कर शास्ति को बहाल रखा जावें।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सभी दस्तावेज परिवहन के समय वाहन चालक के पास मौजूद थे तथा उन्हें उसके द्वारा नियमानुसार पेश कर दिया गया था। माल के साथ आवश्यक वैट-47 फार्म भी संलग्न था जिसमें लगभग सभी कॉलम जैसे वजन, बिल नं., दिनांक, कीमत आदि अंकित किये

हुये थे। केवल वाहन नम्बर भूल से अंकित नहीं था। बिल्टी नम्बर अंकित था तथा पंच नहीं किया गया था। अपने कथन के समर्थन में गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 व The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013 के निर्णयों का हवाला दिया। अधिकृत प्रतिनिधि के अनुसार शेष भी दस्तावेज संलग्न थे। व्यवहारी एक पंजीकृत व्यवहारी है तथा नियमित रूप से कर अदा करता है। उसकी करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। अतः आरोपित शास्ति को अवैधानिक बताकर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। फार्म में सभी महत्वपूर्ण कॉलम भरे हुये थे, केवल वाहन नम्बर अंकित नहीं था तथा पंचिंग नहीं की हुई थी। Material Particulars सभी भरे हुये थे। अतः यह फार्म स्वीकार योग्य है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 के प्रकरण में पैरा 20 में यह प्रतिपादित किया गया है कि :-

“20. The facts enumerated above in civil appeal No. 5197 of 2005 is the lead case in which one by the consignee. The material particulars like quality, weight and description of the goods required to be filled in by the assessee (consignee) were left bland. Therefore, in this batch of civil appeals we are concerned with cases where the goods in movement were carried with blank form St 18A. In our view, on the face of it there was contravention of Section 78 (2) of the RST Act, 1994.”

The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013 में भी यह प्रतिपादित किया है कि Only because invoice number and date was left to be filled in, in my opinion, the form could not have been re-used.

उक्त निर्णयों के प्रकाश में जब Material Particulars भरे हुये थे तो फार्म को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, साथ ही अपीलार्थी के द्वारा नया फार्म भी पेश किया गया था। अतः शास्ति अनुचित है। उक्त आधार पर आरोपित शास्ति अनुचित ठहरती है अतः आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा जाता है तथा विभाग की अपील को अस्वीकार किया जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

Smily
25-6-14
(अमर सिंह)
सदस्य